26.12.23 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र O-1 R-10(2) CPC स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS